



भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुणे
INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH PUNE
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान)
(An Autonomous Institution of the Ministry of Education, Govt. of India)

IISER PUNE campus, Dr. Homi Bhaba Road, Pune-411 008.

आई.आई.एस.ई.आर पुणे परिसर, डॉ होमी भाबा रोड, पुणे-411 008

No: 54(2) /IISER/Pune/2023-24/ 34

Dated 01-05-2023

कोटेशन आमंत्रित करने की सूचना

NOTICE INVITING QUOTATION

निदेशक, आईआईएसईआर पुणे की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा सीपीडब्ल्यूडी, महाराष्ट्र राज्य पीडब्ल्यूडी, रेलवे और एमईएस में से किसी के साथ पंजीकृत अनुमोदित और पात्र ठेकेदारों से 08/05/2023 को अपराह्न 3.00 बजे तक नीचे उल्लिखित कार्य के लिए मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। विद्युत (बी एंड सी) कार्यों के लिए उपयुक्त श्रेणी में, ओईएम या लिफ्ट के क्षेत्र में विशेष विशेषज्ञ एजेंसी। कोटेशन उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे खोली जाएगी।

Sealed quotations are hereby invited by the undersigned on behalf of the Director, IISER Pune for the work mentioned below up to 3.00 PM on 08/05/2023 from approved and eligible contractors registered with anyone of CPWD, Maharashtra State PWD, Railways, and MES in appropriate category for electrical (B&C) works, specialized expert agency in field of Lift or OEM. The quotations will be opened at 3.30 PM on the same day.

कार्य का नाम: आईआईएसईआर पुणे वर्ष 2023-24 में विभिन्न स्थानों पर 30 केवीए और 10 केवीए यूपीएस के लिए वार्षिक व्यापक अनुबंध।

इसे दे दो -

एजेंसी का नाम और पता

NAME OF WORK: Annual Comprehensive Contract for 30 KVA & 10 KVA UPS at Various Location at IISER Pune Year 2023-24.

Issue to –

Name and address of the agency –

नियम और शर्तें:

आवेदक अनुमोदित होना चाहिए और योग्य ठेकेदार सीपीडब्ल्यूडी, महाराष्ट्र राज्य पीडब्ल्यूडी, रेलवे, एमईएस में से किसी के साथ विद्युत (बी एंड सी) कार्यों या आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग, पॉवरवन यूपीएस के रखरखाव के क्षेत्र में विशेषज्ञ एजेंसी के लिए पंजीकृत होना चाहिए। ओईएम। आवेदक को समान कार्य अनुभव प्रमाण पत्र (समापन प्रमाण पत्र) की नवीनतम 5 वर्षों की सत्यापित या नोटरीकृत प्रतियां जमा करनी चाहिए।

- न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले बोलीदाताओं को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
१. कार्य पूरा करने की समयावधि आईआईएसईआर पुणे द्वारा कार्य आदेश देने की तिथि से 365 दिन होगी। कोटेशन खोलने के बाद बैक-आउट का कार्य ऐसी एजेंसियों को आईआईएसईआर पुणे के भविष्य के कोटेशन में भाग लेने से वंचित कर देगा। बोलीदाता maintenance@iiserpune.ac.in पर प्रश्न ईल कर सकते हैं या उपरोक्त निर्दिष्ट कोटेशन की म-तारीख जमा करने से एक दिन पहले सभी कार्य दिवसों पर हार्ड कॉपी में आईआईएसईआर पुणे कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
 २. नोटिस आमंत्रण (एनआईक्यू) दस्तावेज आईआईएसईआर पुणे से 121, इंजीनियरिंग अनुभाग, मुख्य भवन, आईआईएसईआर पुणे परिसर, डॉ होमी भाभा रोड, पाषाण, पुणे 411008 -में सभी कार्य दिवसों से पहले सुबह बजे 10 से शाम 4 बजे के बीच प्राप्त किया जा सकता है। प्रस्तुत करने की तारीख। आवेदक आईआईएसईआर पुणे की वेबसाइट <http://www.iiserpune.ac.in/links/tender-notices-and-eoi> से एनआईक्यू दस्तावेज प्राप्त करके कोटेशन जमा कर सकते हैं।
 ३. सभी एजेंसियों को अपना कोटेशन हार्ड कॉपी में एक सीलबंद लिफाफे में दो अलग-अलग लिफाफों में जमा करना होगा, एक लिफाफा जिसमें क्लॉज 1 में वर्णित योग्यता दस्तावेज और दूसरा लिफाफा जिसमें साइन, स्टाम्प, एनआईक्यू दस्तावेज शामिल हैं, उपयुक्त द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। मतलब जमा करने की अंतिम तिथि और समय पर और उससे पहले। ऊपर निर्दिष्ट तिथि और समय के बाद प्राप्त कोटेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी देरी, डाक देरी आदि पर विचार नहीं किया जाएगा। एजेंसी को बीओक्यू में सभी मर्दों के लिए कोट करना चाहिए। बोली को मूल बोली दस्तावेज (आईआईएसईआर, पुणे द्वारा जारी किए गए अनुसार) में कार्य के नाम के ऊपर लिखा हुआ प्रस्तुत किया जाएगा। शब्दों में उद्धृत दरों को एल1 बोलीदाता तय करने के लिए अंतिम माना जाएगा। . कोटेशन उसी दिन (08/05/2023) अपराह्न 3.30 बजे एजेंसी या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, यदि कोई हो, की उपस्थिति में खोले जाएंगे। कृपया उल्लेख करें - तकनीकी/अर्हता बोली लिफाफे-1 पर एवं वित्तीय बोली लिफाफे-2 पर।
 ४. कोटेशन उसी दिन अपराह्न बजे एजेंसी या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों 3.30, यदि कोई हो, की उपस्थिति में खोली जाएगी। एजेंसी का प्रस्ताव व्यावसायिक रूप से स्पष्ट होना चाहिए जिसमें एजेंसी द्वारा इस कोटेशन के सभी नियमों और शर्तों की स्वीकृति शामिल है। आईआईएसईआर पुणे बिना कोई कारण बताए कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है
 ५. पात्रता सह तकनीकी बोली सर्वप्रथम दिनांक 08/05/2023 को अपराह्न 3.30 बजे खोली जायेगी। वित्तीय बोली उन बोलीदाताओं की खोली जाएगी जो तकनीकी बोली की पात्रता में अर्हता प्राप्त करते हैं। योग्य बोलीदाता की वित्तीय बोली खोलने का समय और तारीख बाद की तारीख में सूचित की जाएगी। संस्थान देर से निविदा के बहाने के रूप में किसी भी नुकसान या पारगमन में देरी को स्वीकार नहीं करेगा।
 ६. किसी भी शर्त के साथ जमा किए गए कोटेशन को सशर्त कोटेशन माना जाएगा और आईआईएसईआर पुणे द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
 ७. उद्धृत दरों में सभी सामग्रियों की लागत, श्रम लागत, जीएसटी, सभी कर, चुंगी, शुल्क, नमूने की लागत और प्रयोगशालाओं में सामग्री के परीक्षण के लिए शुल्क, रॉयल्टी आदि शामिल होना चाहिए। अतिरिक्त कुछ भी अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा। नहीं, बोलीदाता अपनी बोली से संबंधित किसी भी मामले में बोली खुलने के समय से कार्य आदेश जारी करने के समय तक आईआईएसईआर, पुणे से संपर्क करेगा। बोलीदाता द्वारा आईआईएसईआर के बोली मूल्यांकन, बोली तुलना

या अनुबंध पुरस्कार निर्णयों को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप उसकी बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।

८. सभी स्वीकृत निर्माण बीओक्यू में निर्दिष्ट के अनुसार होंगे और सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देशों के अनुसार, एजेंसी को तकनीकी डेटा डालना चाहिए और काम शुरू करने से पहले आईआईएसईआर पुणे की विभिन्न सामग्रियों के निर्माण पर पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। सफल एजेंसी कार्य पूरा होने के मद्देनजर कार्य आदि के लिए सभी उपकरण और टैकल की अपनी व्यवस्था स्वयं करेगी। एजेंसी को एक स्रोत पर बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, एजेंसी को स्रोत से कार्य स्थल तक सुरक्षित रूप से बिजली के दोहन की व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए। आईआईएसईआर पुणे द्वारा कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। उद्धृत दरों में जीएसटी, टीडीएस और अन्य लागू कर शामिल होने चाहिए। काम के बिल से इनकम टैक्स और लेबर सेस की कटौती की जाएगी।
९. बीओक्यू नवीनतम सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देश, आईएस विनिर्देशों और आईआईएसईआर पुणे के निर्देश के अनुसार जब भी सीपीडब्ल्यूडी आईएस विनिर्देश उपलब्ध नहीं हैं /, के अनुसार किए जाने वाले कार्य के लिए विशिष्टता।
१०. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि श्रमिकों और कर्मचारियों को श्रम कानूनों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाए। सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरणों आदि के साथ कार्य के निष्पादन के दौरान निर्धारित मानदंडों के अनुसार एल 1 एजेंसी द्वारा मापी गई सभी सुरक्षा का पालन किया जाएगा। निष्पादन एजेंसी सुरक्षा मानदंडों और संबद्ध मुआवजे आदि के सख्त पालन के लिए एकमात्र तकनीकी व्यावसायिक रूप से जिम्मेदार होगी।
११. एजेंसी प्रत्येक तिमाही/महीने में काम पूरा होने के 30 दिनों के भीतर भुगतान के लिए आईआईएसईआर पुणे को माप और अमूर्त शीट जमा करनी चाहिए।
१२. बदले गए पुर्जे ओईएम द्वारा अनुमोदित मेक और मॉडल के अनुसार होंगे और मौजूदा मेक और मॉडल के समान होंगे।
१३. एजेंसी को कार्य के निष्पादन के दौरान सभी सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए, कोई भी दुर्घटना एजेंसी के दायरे में होगी।
१४. संस्थान किसी भी या सभी निविदाओं को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है या किसी भी स्तर पर, यहां तक कि अनुबंध अवधि के दौरान, बिना कोई कारण बताए या पूरे काम को दो या अधिक ठेकेदार के बीच वितरित करने के लिए निविदा की शर्तों को बदल सकता है। सशर्त निविदाओं को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

Terms and Conditions:

The applicant should be approved and eligible contractors registered with anyone of CPWD, Maharashtra State PWD, Railways, MES in appropriate category for electrical (B&C) works or expert agency in the field of supply, installation, testing and commissioning, maintenance of Powerone UPS or OEM. Applicant should submit attested or notarized copies of latest 5 years of similar work experience certificate (completion certificate).

Bidders not meeting the minimum eligibility criteria shall be summarily rejected.

1. Time period for completion of work shall be 365 days from the date of placing the work order by IISER Pune. The act of backing-out after opening of quotation will debar such agencies for participating in

- the future quotations of IISER PUNE. Bidder may e-mail queries on maintenance@iiserpune.ac.in or submit to IISER PUNE office in hard copy on all working days one day before submission date of quotation as specified above.
2. Notice Inviting Quotation (NIQ) document may be obtained from IISER PUNE at 121, Engineering Section, Main Building, IISER PUNE Campus, Dr. Homi Bhabha Road, Pashan, Pune - 411008 between 10 AM to 4 PM on all working days before date of submission. Applicant may submit quotation by obtaining NIQ document from IISER PUNE website at <http://www.iiserpune.ac.in/links/tender-notices-and-eoi>
 3. All agencies need to submit their quotation in hard copy in a sealed envelope containing two separate envelopes, **one envelope containing qualification documents mention in Clause 1** and **second envelope containing sign, Stamp, NIQ documents with quoted rates** to this office by suitable means on and before last date and time of submission. Quotation received after the date & time specified above shall not be accepted. Any delays, postal delay etc. will not be entertained. Agency should quote for all the items in the in the BOQ. The bid shall be submitted in the original Bid document (as issued by the IISER, Pune) **super scribing the name of work**. Rates quoted in the words shall be treated as final for deciding L1 bidder. Quotations will be opened on the same day **(08/05/2023) at 3.30 PM** in the presence of agency or their authorized representatives, if any. Please mentioned – **Technical /Qualification bid** on envelope-1 and **Financial Bid** on envelope – 2.
 4. Quotations will be opened on the same day at 3.30 PM in the presence of agency or their authorized representatives, if any. The offer of the agency should be commercially clear including acceptance of all terms and conditions of this Quotation by the agency. IISER Pune reserves the right to accept or reject the quotation/s without assigning any reasons.
 5. The Eligibility cum Technical bid shall be opened first at **3:30 pm on 08/05/2023**. The Financial bid shall be opened of those bidders who qualify in the eligibility of Technical bid. The time and date of opening of financial bid of the eligible bidder shall be communicated at a later date. The institute shall not accept any loss or delay in transit as an excuse for late tender in.
 6. Quotations submitted with any conditions shall be treated as conditional quotations and shall be summarily be rejected by IISER PUNE.
 7. Quoted rates should be inclusive of cost of all the materials, labour cost, GST, all taxes, octroi, duties, cost of sample and fees towards testing of materials in labs, royalties etc. complete. Nothing extra shall be paid separately. No, Bidder shall contact the IISER, Pune on any matter relating to his bid from the time of the bid opening to the time of issue of work order. Any effort by the Bidder to influence the IISER's bid evaluation, bid comparison or contract award decisions, may result in the rejection of his bid.

8. All approved makes shall be as specified in BOQ and as per CPWD specifications, agency should put-up technical data and obtain prior approval on makes of various materials of IISER PUNE before taking-up work. The successful agency shall make his own arrangement for all Tools & tackles for work etc complete in view of completion of work. Electricity shall be provided free of cost to agency at one source, agency should make own arrangement to safely tap of power from source to work location. No advance payment shall be made by IISER Pune. Quoted rates should be including GST, TDS and other applicable taxes. Income Tax and labour cess will be deducted from the bills of the work.
9. Specification for the work to be carried out as per BOQ, latest CPWD specification, IS specifications & as per instruction of IISER PUNE whenever specification CPWD/ IS specification are not available.
10. The contractor shall ensure that minimum wages should be paid to the labours and employees in accordance with labour laws. All the safety measures shall be followed by the L1 agency as per prescribed norms during execution of work with all the necessary safety tools etc. Executing Agency shall be sole techno-commercially responsible for the strict adherence of safety norms and allied compensations etc.
11. Agency should submit measurements and abstract sheets to IISER PUNE for the payments within 30 days from completion of work in each quarter/month.
12. The Parts replaced will be as per approved make & model by OEM and identical with existing make & model.
13. The agency should follow all safety measures during the execution of the work, any mishap happen will be on scope of Agency.
14. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders in part or in full or may change the tender conditions at any stage, even during contract period, without Assigning any reasons or to distribute the whole work between two or more contractors. Conditional tenders are liable to be summarily rejected.


अधीक्षण अभियंता
आईआईएसईआर पुणे
Superintending Engineer
IISER Pune

काम की गुंजाइश

आईआईएसईआर पुणे वर्ष 2023-24 में विभिन्न स्थानों पर 30 केवीए और 10 केवीए यूपीएस के लिए वार्षिक व्यापक अनुबंध।

Scope of Work

Name of Work: Annual Comprehensive Contract for 30 KVA & 10 KVA UPS at Various Location at IISER Pune Year 2023-24.

१. अनुसूचित यात्रा द्वारा यूपीएस को कुशलतापूर्वक बनाए रखने के लिए।
२. रखरखाव मैनुअल में प्रदान की गई ओईएम चेकलिस्ट के अनुसार निकट पर्यवेक्षण और निवारक रखरखाव द्वारा ब्रेकडाउन की निगरानी और कम करने के लिए।
३. कम से कम डाउनटाइम में यूपीएस की सक्रिय सेवा करना।
४. ब्रेकडाउन से बचने के लिए छोटी-मोटी खराबी को ठीक/मरम्मत करना।
५. ब्रेकडाउन से बचने के लिए छोटी-मोटी खराबी को शिक्षित/मरम्मत करना
६. व्यावहारिक समाधान प्रदान करने के लिए 4-6 घंटे के भीतर आपातकालीन ब्रेकडाउन कॉल को प्राथमिकता के आधार पर अटेंड करना।
७. स्पेयर रेक्टिफायर, इन्वर्टर, डीसी कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, इंडक्टर, चोक, सभी प्रकार के स्विच, फैन, डिस्प्ले, स्टेटिक बायपास स्विच, पीसीबी सहित सभी स्पेयर पार्ट्स को बदलना यूपीएस के जो भी मानक भाग हैं (बैटरी बैकअप को छोड़कर) जो अनुबंध अवधि के दौरान दोषपूर्ण साबित हुए इस्तेमाल की सामान्य स्थिति में एजेंसी के दायरे में है। बदले गए दोषपूर्ण पुर्जे एजेंसी की संपत्ति होंगे।
८. यह एक व्यापक वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध है जिसमें सभी छोटे और प्रमुख पुर्जे, उपभोग्य वस्तुएं आदि शामिल हैं। एजेंसी द्वारा बदला गया कोई भी पुर्जा मौजूदा के मेक और मॉडल को देखते हुए समान होना चाहिए और इसकी सिफारिश ओईएम द्वारा की जानी चाहिए।
९. सभी ब्रेकडाउन कॉलों को निःशुल्क अटेंड किया जाएगा।
१०. एजेंसी एक वर्ष में कम से कम चार (04) निःशुल्क सेवाएं प्रदान करेगी। (प्रति तिमाही एक सेवा)
११. मरम्मत का कार्य संस्थान के परिसर में किया जाना है। बड़ी मरम्मत की स्थिति में, यदि किसी मशीन को संस्थान परिसर से बाहर ले जाने की आवश्यकता है, तो उसे गेट पास की तरह संस्थान की लिखित अनुमति से ही बाहर ले जाने की अनुमति दी जाएगी। श्रम और परिवहन के कारण कोई अलग शुल्क नहीं होगा
1. Trained service personnel will visit the installation sites for periodic preventive maintenance check-up of the system once in a month and report to be submitted to the Engineering-In-charge, IISER Pune.
2. Apart from the periodic preventive maintenance visit, all breakdown calls on the systems covered under AMC and reported to the respective service centre from IISER,Pune will be attended too.

All breakdown or preventive maintenance call should be attended within four hours from registration of call to service centre or respective service in charge.

3. Replacement of any part should be identical in specification, make and model. No any deviation will be acceptable in specification, make and model of spares replaced by the agency.
4. All breakdown should be attended and rectified in four hours after received calls from IISER Pune. Tools, safety tools, special purpose tools, measuring instruments and labor required will be in the scope of agency and borne by the agency. IISER Pune will provide spare parts for replacement with faulty one.
5. During the preventive maintenance check, the system will be cleaned and general performance will be checked by the agency.
6. The rates quoted by the agency is for the services 24x7 coverage including all holidays, national holidays and night hours etc. No additional cost/charges will be paid separately for overtime, holiday work etc.
7. Replacement of all spare parts including, Rectifier, Inverter, DC Capacitors, Transformer, Inductor, Chokes, all types of switches, Fan, display, Static Bypass Switch, PCB whatever standard parts of UPS (excluding batteries backup) which proved defective during contract period under normal condition of used is in scope of agency. Defective parts replaced shall be property of agency.
8. This is a comprehensive Annual Maintenance Contract which includes all minor and major parts, consumables etc. Any parts replace by agency should be identical in view of make & model of existing and it should be recommended by OEM.
9. All breakdowns calls shall be attended free of cost.
10. The agency will provide minimum four (04) free services in a year. (One Service Per Quarter).
11. The repair work is to be carried out within the premises of the Institute. In the event of Major repairs, if any of the machines required to be taken outside Institute premises, the same will be allowed to be taken outside only with the written permission of the Institute like Gate pass. No separate charges on account of labor and transportation would be paid by the Institute for the purpose.

अनुबंध की शर्तें और शर्तें:

१. मरम्मत और ब्रेकडाउन सेवा: मरम्मत कवरेज

ओईएम द्वारा फिट किए गए सभी पुर्जे और पुर्जे मूल पुर्जे या घटक होंगे। यदि मूल पुर्जे या संघटक उपलब्ध नहीं हैं, तो फिट किए गए पुर्जे या पुर्जे समान गुणवत्ता और कार्यक्षमता वाले होंगे। भागों और घटकों से संबंधित डिजाइन, सामग्री या कारीगरी में किसी भी दोष के लिए IISER पुणे के लिए एजेंसी की देयता इस लेख द्वारा परिभाषित स्पेयर पार्ट्स या घटकों के प्रतिस्थापन तक सीमित होगी।

सामग्री समूहों को मरम्मत कवरेज से बाहर रखा गया है

1. बैटरी बैकअप

२. एजेंसी द्वारा सेवाओं का प्रावधान

अनुबंध और इन सामान्य नियमों और शर्तों में सहमति के अनुसार एजेंसी रखरखाव सेवाओं का प्रदर्शन करेगी। उक्त सेवाओं को निष्पादित करने में, एजेंसी उपकरण को उचित परिचालन स्थिति में बनाए रखने के लिए सभी उचित कदम उठाएगी। एजेंसी रखरखाव सेवाओं को करने के लिए प्रशिक्षित और उचित पर्यवेक्षण वाले कर्मियों का उपयोग करेगी। रखरखाव सेवाएं सामान्य कामकाजी घंटों के दौरान आयोजित की जाएंगी। एजेंसी अपने सामान्य कामकाजी घंटों के दौरान, नियमित अंतराल पर और जितनी बार कंपनी आवश्यक समझे, लिफ्ट की उम्र, प्रकृति और स्थिति को ध्यान में रखते हुए, एक तकनीशियन को व्यवस्थित रूप से निरीक्षण करने के लिए, यूपीएस के हिस्सों को आवश्यक सीमा तक भेज देगी। यूपीएस को संतोषजनक कार्य क्रम में बनाए रखना। खराबी या विफलता के ग्राहक द्वारा अधिसूचना पर, एजेंसी यथोचित रूप से जल्द से जल्द और तकनीशियन को उपकरण की संतोषजनक कार्यशील स्थिति को बहाल करने के लिए आवश्यक मरम्मत करने के लिए भेज देगी। एजेंसी को या तो नए अटैचमेंट स्थापित करने होंगे और न ही यूपीएस के लिए एक अलग डिजाइन के भागों के साथ प्रतिस्थापन करने की आवश्यकता होगी, चाहे बीमा कंपनियों द्वारा या सरकारी या गैर-सरकारी अधिकारियों द्वारा अनुशंसित या निर्देशित नहीं किया गया हो। एजेंसी नियंत्रण कक्ष को बंद रखने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

अनुरक्षण प्रक्रिया के दौरान अनुबंध के तहत उपकरण कमीशन से बाहर रहेंगे। इस अवधि के दौरान किसी को भी उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

३. आईसर पुणे द्वारा प्रावधान

IISER पुणे उपकरण के किसी भी असंतोषजनक संचालन या प्रदर्शन, किसी भी दुर्घटना या उपकरण से जुड़ी घटनाओं या उपकरण के उपयोग में किसी भी बदलाव के बारे में एजेंसी को तुरंत सूचित करेगा। आईआईएसईआर पुणे भवन संरचना में सभी वायरिंग और उपकरणों के संचालन के लिए आवश्यक बिजली आपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा। **IISER** पुणे व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य नियमों सहित सभी लागू विधायी आवश्यकताओं का पालन करेगा। आईआईएसईआर पुणे दो व्यक्तियों को नाम और पदनाम से नामित करेगा, यदि कोई ब्रेकडाउन है, तो एजेंसी को यह स्पष्ट समझ के साथ कि एजेंसी द्वारा केवल ऐसे व्यक्तियों के निर्देशों पर ध्यान दिया जाएगा।

आईआईएसईआर पुणे यूपीएस कमरे को ताला और चाबी के नीचे रखेगा। **IISER** पुणे किसी भी अन्य व्यक्ति को, अपने स्वयं के या किसी तीसरे पक्ष को इस अनुबंध के अस्तित्व के दौरान किसी भी यूपीएस घटकों के साथ हस्तक्षेप करने,

मरम्मत करने या सुधारने की अनुमति नहीं देगा, इस स्पष्ट समझ के साथ कि इस खंड के किसी भी उल्लंघन से एजेंसी को राहत मिलेगी। इस अनुबंध के तहत आगे के सभी दायित्व।

४. एजेंसी के भाग और घटक

ओईएम द्वारा फिट किए गए सभी पुर्जे और पुर्जे मूल पुर्जे या घटक होंगे। यदि मूल भाग या घटक उपलब्ध नहीं हैं, तो फिट किए गए भाग या घटक समान गुणवत्ता और कार्यात्मक रूप से होंगे और ओईएम के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इसके द्वारा विशेष रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि ओईएम किसी भी तरह से इस अनुबंध के तहत जल रिसाव बाढ़ के परिणामस्वरूप लिफ्ट के सभी हिस्से को हुई किसी भी क्षति को बदलने या मरम्मत करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में ग्राहक की लागत और खर्च पर सभी मरम्मत और प्रतिस्थापन की आवश्यकता हो सकती है। यह अनुशंसा की जाती है कि ग्राहक को ऐसे कारणों से होने वाले नुकसान के लिए उपकरण की सुरक्षा के लिए बीमा या समान कंपनियों से पर्याप्त सुरक्षा लेनी चाहिए। ऐसी स्थिति में मरम्मत या प्रतिस्थापन की लागत की प्रतिपूर्ति बिना किसी शर्त या सीमाओं के ओईएम को की जानी चाहिए। जहां सामग्री, घटक पुर्जे या असेंबली अप्रचलन के कारण अब उपलब्ध नहीं हैं या यदि वे मूल आपूर्तिकर्ता द्वारा स्थायी रूप से उत्पादन से बाहर कर दिए गए हैं, तो वैकल्पिक प्रतिस्थापन सामग्री, घटक भागों या असेंबली (जैसा भी मामला हो) की आपूर्ति और उपयोग होगा ग्राहक की लागत को हराएं। यदि ओईएम इस समझौते के उद्देश्य के लिए किसी भी सामग्री या भागों की आपूर्ति करने में खुद को असमर्थ मानता है, तो यह समझौता एजेंसी के अर्जित अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस तरह की समाप्ति के लिए एजेंसी के लिए किसी भी दायित्व के बिना समाप्त हो जाएगा।

५. दायित्व की सीमा

इस अनुबंध में किसी भी अन्य प्रावधान या क्षतिपूर्ति के बावजूद, किसी भी स्थिति में एजेंसी लाभ, उपयोग, अनुबंध, व्यवसाय, ग्राहकों, सद्भावना, दूसरों की संविदात्मक देनदारियों या किसी भी अप्रत्यक्ष या परिणामी नुकसान के नुकसान के लिए दूसरे पक्ष के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। या नुकसान, जो अनुबंध के संबंध में दूसरे पक्ष को भुगतना पड़ सकता है। इस अनुबंध के तहत या इसके संबंध में एजेंसी की अधिकतम कुल देयता किसी भी स्थिति में प्रति उपकरण एक वर्ष के अनुबंध मूल्य के बराबर राशि से अधिक नहीं होगी।

६. अनुबंध की समाप्ति

अनुबंध अवधि अवधि के लिए अनुबंध लागू रहेगा, जब तक कि समाप्ति की वांछित तिथि से 08 दिन पहले नोटिस जारी करके किसी भी पक्ष द्वारा लिखित में रद्द नहीं किया जाता है। कोई भी पक्ष उपरोक्त समय आवश्यकताओं को पूरा किए बिना दूसरे पक्ष को लिखित सूचना देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है। उस स्थिति में जब दूसरा पक्ष अनिवार्य रूप से या स्वेच्छा से परिसमापन में चला जाता है, या एक रिसीवर, प्रशासक या प्रशासनिक रिसीवर को उसकी संपत्ति के पूरे या किसी हिस्से के संबंध में नियुक्त किया जाता है, या यदि दूसरा पक्ष अनुबंध का उल्लंघन करता है और कथित उल्लंघन का विवरण देने वाले लिखित नोटिस की प्राप्ति के तीस (30) दिनों के भीतर उक्त उल्लंघन का उपचार नहीं किया गया है। इसके अलावा, IISER पुणे के पास उस स्थिति में अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार है, जब अनुबंध अवधि की अवधि

के दौरान IISER पुणे द्वारा पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना किसी तीसरे पक्ष द्वारा उपकरण के उपयोग का मुख्य उद्देश्य भौतिक रूप से बदल दिया गया हो या भवन का स्वामित्व जहां उपकरण हो। स्थित है बदल दिया गया है।

Term & Conditions of Contract:

1. Repair and breakdown service: Repair coverage

All parts and components fitted by OEM will be original parts or components. If original parts or components are not available, the parts or components fitted will be of equal quality and functionality. Agency liability to IISER Pune for any defects in design, materials or workmanship relating to parts and components shall be limited to the replacement of spare parts or components as defined by this article.

Material groups excluded from repair coverage

1. Battery Backup

2. PROVISION OF SERVICES BY AGENCY

Agency shall perform the Maintenance Services as agreed to in the Contract and in these General Terms and Conditions. In performing the said services, agency shall take all reasonable steps to maintain the Equipment in proper operating condition. Agency shall use trained and appropriately supervised personnel to perform the Maintenance Services. The Maintenance Services shall be conducted during the Normal Working Hours. Agency during its normal working hours, shall send at regular intervals and as frequently as the Company thinks necessary, having regard to the age, nature and condition of the elevator, a technician to systematically inspect, the parts of the UPS to the extent necessary to maintain the UPS in satisfactory working order. Upon notification by the customer of a breakdown or failure, agency shall send, as soon as may reasonably be possible and technician to carry out necessary repairs in order to restore the equipment's to satisfactory working condition. Agency will either be required to install new attachments nor to make replacements with parts of a different design to the UPS whether or not recommended or directed by Insurance Companies, or by Governmental or Non-Governmental authorities. The agency reserves the right to keep the control cubicle locked.

The Equipment under contract will remain out of commissioning while the maintenance process is being carried out. No one will be allowed to use Equipment during this period.

3. PROVISIONS BY THE IISER PUNE

The IISER Pune shall promptly inform agency of any unsatisfactory operation or performance of the Equipment, any accidents or incidents involving the Equipment or any change in the use of the Equipment. The IISER Pune shall be responsible for all wiring in the building structure and power supply necessary for the functioning of the equipment. The IISER Pune shall comply with all applicable Legislative Requirements, including occupational safety and health regulations. The IISER Pune shall nominate two persons by name and designation for intimating breakdowns if any, to agency with clear understanding that instructions of only such persons will be attended by agency.

The IISER Pune shall keep the UPS room under lock and key. The IISER Pune shall not to allow any other person, either his own or a third party to meddle with, repair or rectify any of the UPS components during the subsistence of this contract with the explicit understanding that any breach of this clause will relieve agency of all further obligations under this contract.

4. AGENCY PARTS AND COMPONENTS

All parts and components fitted by the OEM will be original Parts or components. If original parts or components are not available, the parts or components fitted will be of equal quality and functionally and approval of OEM is required. It is hereby specifically agreed that The OEM would not in any way be liable to replace or repair free of charge, under this contract any damage caused to all part of the elevator as a consequence of water seepage flooding. In such an event all repairs and replacements as may be necessitated would be carried out at the cost and expense of the customer. It is recommended that the customer should take adequate protection from Insurance or similar companies to safe guard the equipment for damages that would occur due to such causes. In such an event the cost of repair or replacement should be reimbursed to OEM without any condition or limitations. Where materials, components parts or assemblies are no longer available due to obsolescence or if they have permanently taken out of production by the original supplier, then the supply and use of alternative replacement materials, components parts or assemblies (as the case may be) will beat the cost of the Customer. In the event the OEM consider themselves unable to supply any materials or parts for the purpose of this agreement, then this agreement shall forthwith terminate without prejudice to the Agency's accrued rights and without any liability to the Agency for such termination

5. LIMITATION OF LIABILITY

Notwithstanding any other provision or indemnities in this contract, in no event shall the Agency be liable to the other party for any loss of profit, use, contracts, business, customers, good will,

contractual liabilities of others or for any indirect or consequential loss or damage, which may be suffered by the other party in connection with the Contract. The

Agency's maximum aggregate liability under or in relation with this contract shall in no event exceed an amount equal to one year's Contract value per equipment.

6. TERMINATION OF CONTRACT

The Contract shall remain in force for the Contract Duration Period, unless cancelled in writing by either party, by issuing 08 days' notice prior to the desired date of termination. Either Party may terminate the Contract, without satisfying the above time requirements, by giving a written notice to the other Party. In the event of that the other party goes into liquidation either compulsorily or voluntarily, or a receiver, administrator or administrative receiver is appointed in respect of the whole or any part of its assets, or if the other Party commits a materials breach of the Contract and the said breach has not been remedied within thirty (30) days after receipt of written notice setting forth particulars describing the alleged breach. Further, IISER Pune has right to terminate the Contract in the event the main purpose of use of the Equipment has materially changed by a third party without the prior written approval by IISER Pune during the contract duration period or the ownership of the building where the Equipment is located is changed.

भुगतान शर्तें:

1. अग्रिम भुगतान बेहतर नहीं है, इसलिए एजेंसियों को इससे बचना चाहिए। भुगतान संतोषजनक कार्य पूर्ण होने पर तिमाही/मासिक किया जायेगा।
2. कर, यदि कोई हो, प्रचलित दरों पर बिल/कर बीजक से काटा जाएगा।
3. ठेकेदार को इस अनुबंध के नियमों और शर्तों में निर्दिष्ट कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
4. करों की कटौती नियमानुसार स्त्रोत पर की जायेगी।

Payment Terms:

1. Advance payment is not preferable, so the agencies should avoid it. Payment will be made quarterly/monthly after satisfactory completion of work.
2. Taxes, if any, will be deducted from bill / Tax invoice at the prevailing rates.
3. No additional amount will be paid to the contractor what has been specified in the terms and conditions of this contract.
4. Taxes will be deducted at the source as per rules.

कार्य दिशानिर्देश

१. IISER पुणे प्रतिनिधि की उपस्थिति में CMC कार्य किया जाना है
२. प्रभारी अभियंता की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार कार्य निष्पादित किया जाना चाहिए।

3. एजेंसी कार्य के संबंध में सभी वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करेगी
4. स्थल पर कार्य के लिए उनके द्वारा तैनात कर्मियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। किसी भी दुर्घटना/घटना के मामले में जिसमें एजेंसी द्वारा तैनात कर्मियों को कोई चोट या जीवन की हानि हो सकती है, IISER ऐसी घटनाओं के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा और किसी भी पार्टी को किसी भी प्रकार के मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। प्रतिनियुक्त कर्मियों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी।
5. सभी ब्रेकडाउन कॉलों को निःशुल्क अटेंड किया जाएगा।
6. एजेंसी एक वर्ष में कम से कम चार (04) निःशुल्क सेवाएं प्रदान करेगी। (प्रति तिमाही एक सेवा)
7. एजेंसी निःशुल्क ब्रेकडाउन कॉल प्राप्त होने पर रूटीन सर्विस कॉलों के बीच असीमित ब्रेकडाउन कॉलों का तुरंत समाधान करेगी।
8. एजेंसी को कार्य समय के दौरान सूचना के चार घंटे के भीतर और कार्यालय के कार्य समय के बाद सूचित किए जाने पर अगले दिन की शुरुआत तक किसी भी ब्रेकडाउन कॉल को अटेंड करना होगा, अन्यथा जुर्माना @ रु। 1000/- प्रति दिन डाउन टाइम लगाया जाएगा। बड़ी खराबी या ओवरहालिंग के मामले में भी यही लागू होता है, अगर इसे ठीक नहीं किया जाता है और पांच दिनों के भीतर काम नहीं किया जाता है। एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि सिस्टम को समय पर काम करने के लिए सभी आवश्यक स्पेयर या रिप्लेसमेंट पार्ट्स साइट पर समय पर पहुंचें। अधिकतम जुर्माना अनुबंध मूल्य के 10% तक सीमित है। इंजीनियरिंग प्रभारी को सभी आंतरिक और बाहरी कारकों पर विचार करते हुए इस खंड को लागू करने का अधिकार होगा।
9. अनुबंध के अंत में यूपीएस को सौंपते समय ये सही काम करने की स्थिति में होना चाहिए। पाई गई किसी भी खराबी को एजेंसी द्वारा ठीक किया जाना है अन्यथा मरम्मत की शुद्ध लागत एजेंसी के खाते से वसूल की जाएगी। अनुबंध के दौरान, यदि दोषपूर्ण मरम्मत या उसके किसी भाग के कारण कोई दुर्घटना होती है, तो यह एजेंसी की जिम्मेदारी होगी कि वह किसी व्यक्ति/संपत्ति को चोट के कारण हुए नुकसान की भरपाई करे। आईआईएसईआर किसी भी तरह से नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसके लिए आईआईएसईआर पुणे को क्षतिपूर्ति करने के लिए ओईएम/प्राधिकृत एजेंसी।
10. उपकरणों की जांच और मरम्मत के दौरान सभी सरकारी नियमों का पालन किया जाना चाहिए।
11. एजेंसी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यूपीएस ठीक से चल रहे हैं, पंखे काम कर रहे हैं और यूपीएस कम से कम उन जगहों पर साफ हैं जहां सामान्य रूप से पहुंचना मुश्किल है। यह प्राथमिकता दी जाती है कि एजेंसी बैटरी बदलने, यूपीएस लाइट, पंखे की मरम्मत/प्रतिस्थापन की जिम्मेदारी ले। एजेंसी द्वारा उचित सेवा रिपोर्ट/लॉग बुक का रखरखाव किया जाना है। यूपीएस से संबंधित कार्य करने के लिए एजेंसी द्वारा केवल योग्य, कुशल और अनुभवी तकनीशियनों को ही तैनात किया जाना है।
12. ठेकेदार अपने कर्मचारियों के व्यवहार और आचरण के लिए जिम्मेदार होगा। संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले या खराब रिकॉर्ड वाले कर्मचारी को ठेकेदार द्वारा नहीं लगाया जाएगा। इस संबंध में, यह भी कहा जाता है कि एएमसी कार्य के निष्पादन

के लिए फर्म द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मैकेनिकों/श्रमिकों के पूर्ववृत्त को स्थानीय पुलिस से सत्यापित किया जा सकता है।


१३. संस्थान मशीनों की मरम्मत/प्रतिस्थापन के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के स्रोत और खरीद का प्रमाण मांगने के लिए स्वतंत्र होगा।
१४. यदि ठेकेदार द्वारा लाई गई सभी घटिया सामग्री को अस्वीकार कर दिया जाएगा और उसे अपने खर्चे पर साइट से तुरंत हटाना होगा और यह कार्यालय उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

Work Guidelines

1. The CMC work to be carried out in the presence of IISER Pune representative
2. The work should be executed to the entire satisfaction of the Engineer-in Charge
3. The agency will comply with all statutory requirements in respect of the work.
4. The agency will be responsible for the safety of personnel deployed by them for the work at the site. In case of any accident/incident which may involve any injury or loss of life to the personnel deployed by the agency, IISER in no way shall be responsible for such happenings and will not be liable for any type of compensation to any party. Safety of personnel deputed will be whole sole responsibility of the concerned agency.
5. All breakdowns calls shall be attended free of cost.
6. The agency will provide minimum four (04) free services in a year. (One Service Per Quarter)
7. The agency shall attend unlimited breakdown calls in between routine service Calls immediately on receipt of breakdown calls free of cost.
8. The agency will have to attend any breakdown call within Four hours of intimation during working hours and by the beginning of the next day if intimated after office Working hours, otherwise penalty @ Rs. 1000/- per day of down time will be Levied. The same applies in case of a major fault or overhauling, if it is not rectified and not made working within five days. The agency will have to ensure that all necessary spare or replacement parts arrive on time to the site to make the system working in time. Maximum penalty is limited to 10% of the contract value. Engineering In charge shall have all right to apply this clause considering all internal and external factors.
9. While handing over the UPS at the end of the contract these should be in perfect working condition. Any defects found have to be rectified by the agency or else the net cost of the repairs will be charged on the agency's account, During the contract, if any mishap occurs due to faulty repairs or any of its part, it will be the responsibility of the agency to compensate the

loss on account of injury to any person/property. IISER, on any account, shall not be responsible for the loss. OEM/Authorized agency to indemnify IISER Pune for the same.

10. All Government regulations must be followed during examination and repairs of equipment's.
11. The agency will also have to ensure that the UPSs are properly lit, fans are working and the UPSs are clean at least those place which are hard to reach normally. It is preferred that the agency takes responsibility for Battery replacement, UPS lights, fans repair/replacement. Proper service reports/log books have to be maintained by the agency Only qualified, skilled and experienced technicians have to be deployed by the agency to carry out the UPSs related work.
12. The contractor shall be responsible for behavior and conduct of its workers. Worker with doubtful integrity or having a bad record shall not be engaged by the contractor. In this regard, it is also to be stated that the antecedents of the mechanics/ laborers to be Deployed by the firm for execution of AMC work, may be got verified from the local police.
13. The Institute will be at the liberty to ask for source and proof of procurement of, materials used to repair/ replacement of the machines.
14. All the substandard material if brought by contractor shall be rejected and shall have to be removed by him at his cost from the site immediately and this office will not be responsible for the safe custody of the same.



अधीक्षण अभियंता, आईआईएसईआर पुणे
Superintending Engineer, IISER Pune

साइन और एजेंसी की मुहर
Sign & Stamp of Agency

Dt:27-04-2023

Schedule of Quantity						
Name of The Work: Annual Comprehensive Contract for 30 KVA & 10 KVA UPS at Various Location at IISER Pune Year 2023-24.						
Sr No.	Location	Quantity	Unit	Monthly AMC Rate in Rupees (Including all Taxes)(In words & Figure)	Amount(Yearly) in Rupees	
A	B	C	D	E	(F=CxE)	
1	Annual maintenance Contract For 30 KVA UPS (Quantity-01 No.) SI No- 20100500470	12	Month			
2	Annual maintenance Contract For 10 KVA UPS (Quantity-01 Nos.) SI no.- 20121002721	12	Month			
3	Annual maintenance Contract For 10 KVA UPS (Quantity-01 Nos.)SI No.- 20141101790	12	Month			
Total Amount in Rs.						

Please note that quoted rates are inclusive of all taxes,labour,transportation etc.Nothing extra shall be paid separately



Superintending Engineer
HSER, Pune